न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 54 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. उदाराम पुत्र लाखाराम उम्र 60 वर्ष **बनाम** 2. अम्बालाल पुत्र लाखाराम उम्र 51 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मांगता तहसील गुड़ामालानी।	1.गोपीलाल पुत्र लाखाराम उम्र 56 वर्ष 2.चम्पालाल पुत्र लाखाराम उम्र 53 वर्ष जातियान ब्राहम्ण निवासी शोभाला जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर **प्रारूपिक उतरदातागण(प्रतिवादी)** 3.लाखाराम पुत्र नाथाराम उम्र 80 वर्ष जातियान ब्राहम्ण निवासी शोभाला जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 4.तहसीलदार गुड़ामालानी 5.चुकी पत्नी मुलाराम उम्र 51 वर्ष जाति ब्राहम्न निवासी इन्द्रा नगर, तहसील व जिला बाड़मेर। 6.कुननी पत्नी घेवरराम उम्र 45 वर्ष जाति ब्राहम्न निवासी लूखू तहसील धोरीमना हाल निवासी जुनागढ, गुजरात

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी हाल धोरीमन्ना के राजस्व मूल वाद संख्या 159 / 2015(247 / 2011) बअनवान निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04. 07.2014।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 55 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
3. उदाराम पुत्र लाखाराम उम्र 60 वर्ष **बनाम** 4. अम्बालाल पुत्र लाखाराम उम्र 51 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मांगता तहसील गुड़ामालानी।	1.गोपीलाल पुत्र लाखाराम उम्र 56 वर्ष 2.चम्पालाल पुत्र लाखाराम उम्र 53 वर्ष जातियान ब्राहम्ण निवासी शोभाला जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर **प्रारूपिक उतरदातागण(प्रतिवादी)** 3.लाखाराम पुत्र नाथाराम उम्र 80

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वर्ष जातियान ब्राहम्ण निवासी
शोभाला जेतमाल तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4.तहसीलदार गुड़ामालानी
5.चुकी पत्नी मुलाराम उम्र 51
वर्ष जाति ब्राहम्न निवासी इन्द्रा
नगर, तहसील व जिला बाड़मेर।
6.कुननी पत्नी घेवरराम उम्र 45
वर्ष जाति ब्राहम्न निवासी लूखू
तहसील धोरीमना हाल निवासी
जुनागढ, गुजरात

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी हाल धोरीमन्ना के राजस्व मूल वाद संख्या 159/2015(247/2011) बअनवान निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.05.2015।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील से मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।
3. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.04.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धरा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 6 व 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पेश कर मौजा शोभाला हाल खरड़िया तहसील गुड़ामालानी हाल धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 284 रकबा 45.06 बीघा, खसरा संख्या 283/1 रकबा 30 बीघा में वादीगण का संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा घोषित करने के साथ ही कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा करने का पेश किया। उक्त प्रकरण में अपीलांट उदाराम के विरूद्ध दिनांक 16.01.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर उतरदाता लाखाराम एवं अम्बालाल के द्वारा दिये गये जवाब दावा के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए उतरदाता संख्या 1 व 2 का विवादित आराजी मौजा खरड़िया खसरा खसरा संख्या 284 रकबा 45.06 बीघा में 1/5—1/5 हिस्सा घोषित करते हुए विवादित आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश नायब तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये गये। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2014 को भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री दिनांक 28.05.2015 को जारी कर दी गई जो विधि के सिद्धान्तों से परे जाकर जारी की गई। अपीलांट द्वारा दिनांक प्राथमिक डिक्री क विरूद्ध आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी पी सी पर सुनवाई किये बगेर आलोच्य निर्णय निर्णय पारित किया गया। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने हेतु आदेश 09 नियम 13 सी पी सी का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा प्रकरण गुड़ामालानी से धोरीमन्ना स्थानांतरित करने की कोई सूचना अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा नायब तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना मौके पर आये गलत रूप से कब्जे के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की पर्याप्त तामिल हुए बिना तथा पत्रावली का गुड़ामालानी से धोरीमन्ना स्थानांतरण होने की जानकारी अपीलांट को नहीं थी और इसकी सूचना

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट अधिवक्ता ने भी नहीं दी। अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 30.05.2016 पटवारी के पास जमाबंदी लेने गया तब पटवारी ने कहा कि आपके खेत का बंटवारा हो चुका है तरमीन बाकी है। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय की दिनांक 01.06.2016 को नकले प्राप्त की तथा अपील पेश करने की कार्यवाही की गई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील देरी से पेश करने का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि निर्णय में प्राप्त आलोच्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार धौरीमन्ना को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना अनिवार्य है। बंटवारा By Metes & Bounds नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय गुड़ामालानी हाल धोरीमन्ना के द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 159/2015 बअनवान गोपीलाल बनाम लाखाराम वगै में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2014 व 28.05.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner